उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-104/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(38)-2009

लखनऊ::दिनांक:: 15 जनवरी, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2009 से सरकारी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैः-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कम संख्या 6, 14 और 20 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

कम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	
6.	लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज, जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
14.	निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय विकय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात:- (i) पिग आयरन, स्पंज आयरन एवं कास्ट आयरन, जिसके अन्तर्गत इनगट मोल्ड्स, बाटम प्लेट्स, आयरन स्कैप, कास्ट आयरन स्कैप, रनर स्कैप एवं आयरन स्कल स्कैप सम्मिलित है; (ii) स्टील सेमीज (सभी क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियाँ, पट्टियाँ, ब्लूम और बिलेट); (iii) पिघले इस्पात के सभी रूप के स्कैप, जिनके अन्तर्गत इस्पात के स्कल, खरादन और वेदन भी हैं; (iv) तार-वेल्लित, खींचे गये, जस्तेदार, अल्यूमिनियम-युक्त, कलईदार या विलेसित जैसे ताँबे से ।	माल के मूल्य का एक प्रतिशत
20.	रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं एअर कन्डिशनिंग प्लांट्स	माल के मूल्य का एक प्रतिशत

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।